छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00176

श्री सचिन कुमार सक्सेना <u>विरूद्ध</u> श्री पंकज हेमराजानी, रायपुर

प्रोजेक्ट–रिया वर्ल्ड ऑफ पैराडाईज, कचना, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/11/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का कथन है कि उसके एवं उसके जीजाजी द्वारा अनावेदक के कचना, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "**रिया वर्ल्ड ऑफ पैराडाईज**" में दो 4BHK डुप्लेक्स हाऊस की बुकिंग हेतु, अनावेदक को कुल रूपये 1,02,000/– मात्र का भुगतान दिनाँक 16.03.2018 को किया गया था। आवेदक के अनुसार उनकी पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाने की स्थिति में उक्त डुप्लेक्स क्रय करने का अनावेदक से सौदा हुआ था। सौदे के दौरान यह भी तय किया गया था कि यदि किन्हीं कारणों से उनकी पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं हो पाती है, तो अनावेदक द्वारा उसे भुगतान की गई टोकन राशि, कुल रूपये 1,02,000/– उन्हें वापस लौटा दिया जावेगा। अनावेदक ने उल्लेख किया है कि किन्हीं कारणों से बहुत प्रयास किये जाने के बावजूद उनकी पुरानी प्रॉपर्टी न बिक पाने के कारण उनके द्वारा अनावेदक से उक्त सौदा निरस्त कर बुकिंग राशि लौटाने का अनुरोध किया गया। किन्तु अनावेदक द्वारा राशि लौटाने से इंकार कर दिया गया। आवेदक ने उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस दिलाने हेतु प्राधिकरण से अनुरोध किया गया। – प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। अनावेदक द्वारा दिनाँक 10.10.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक से प्राप्त कुल राशि रूपये 1,02,000/– उसे वापस लौटाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। उक्त राशि लौटाने हेतु न्यायहित में आवेदक को दिनाँक 30.10.2018 तक की समयावधि प्रदान की गई। – प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनाँक 30.10.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा उसे	
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर (seal) Gw		

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00176

श्री सचिन कुमार सक्सेना विरूद्ध श्री पंकज हेमराजानी, रायपुर
प्रोजेक्ट–रिया वर्ल्ड ऑफ पैराडाईज, कचना, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर	संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। चूँकि आवेदक को प्रकरण में वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है, अतः वह अनावेदक के विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहता है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति व सुलह होने तथा आवेदक को बुकिंग हेतु प्रदत्त संपूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	